



राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार, दिल्ली जल बोर्ड  
कार्यालय प्रथम अपीलीय अधिकारी (RTI)/निदेशक (प्र. व का.)  
कमरा न० 201, वरुणालय फेज-II, करोल बाग,  
नई दिल्ली -110 005, दूरभाष नः 2354479

क्रमांक DJB/FAA-RTI/Appeal No. 356/2015/ 31591A  
आदेश

दिनांक : 08.07.2015

इस आदेश द्वारा श्री प्रेम शंकर वर्मा के द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19(1) के अधीन प्रस्तुत अपील का निपटान किया गया।

आज दिनांक 08.07.2015 को उपरोक्त केस की सुनवाई की गई जिसमें अपीलकर्ता उपस्थित हुए। प्रशासन की ओर से श्री अमित कुमार जैन, AC(G)-I, PIO एवं श्रीमती सविता, AO (D), PIO की ओर से उपस्थित हुए।

अपीलकर्ता द्वारा दी गई RTI एवं संबंधित जन सूचना अधिकारियों द्वारा दिए गए जवाब से यह विदित होता है कि अपीलकर्ता को प्रश्न संख्या 01 का जवाब नहीं दिया गया। अतः प्रश्न संख्या 01 के संदर्भ में AC(B), PIO को निर्देश दिया जाता है कि अपीलकर्ता को उचित जवाब 15 दिनों के अंदर उपलब्ध कराये।

प्रश्न संख्या 02 के संदर्भ में, AC (D), PIO को निर्देश दिया जाता है कि अपीलकर्ता को संबंधित आदेश की कापी 15 दिनों के अंदर उपलब्ध कराये।

जहाँ तक अपीलकर्ता द्वारा पूछे गए प्रश्न संख्या 03 एवं 04 का संबंध है, AC (G)-I, PIO द्वारा उचित जवाब उपलब्ध कराया जा चुका है।

इस प्रकार अपील का निपटान किया गया।

यदि अपीलकर्ता प्रथम अपीलीय अधिकारी के आदेश अथवा प्रथम अपीलीय अधिकारी के आदेश पारित करने के उपरांत जन सूचना अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना से संतुष्ट नहीं है, तो अपीलकर्ता केंद्रीय सूचना आयोग से निम्नलिखित पते पर संपर्क कर सकता है:-


केन्द्रीय सूचना आयोग,  
क्लब बिल्डिंग (पोस्ट ऑफिस के पास),  
ओल्ड जे.एन.यू. कैम्पस, नई दिल्ली 110067,  
फोन नं० 1126161796

ह०/-  
( यू. बी. त्रिपाठी )  
प्रथम अपीलीय अधिकारी

श्री प्रेम शंकर वर्मा,  
म.नं. 454-A, गली नं. 03,  
श्याम पार्क मेन, (शहीद भगत सिंह पब्लिक स्कूल के पास),  
सहिबाबाद, जिला - गाजियाबाद (यू०पी०)-101005.

प्रतिलिपी :

- 1 जन सूचना अधिकारी - स. आ. (वितरण), स. आयुक्त (बल्क) एंव सहायक आयुक्त (सामान्य)-।
- 2 E.E(EDP)-DJB website पर अपलोड करने हेतु।



Programmer I

15-7-15

8.7.15  
प्रथम अपीलीय अधिकारी